

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :-2022/45

पत्रावली पेश हुई। मूलदावा विद्वाँ के आधार पर खारिज किया जा चुका है।
इसलिए इस पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः यह पत्रावली भी इसी स्तर
पर खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिलदफ़तर हो।